रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2003 REGISTERED No. DL—33001/2003

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] वई दिल्ली, शनिवार, मई 10, 2003 (वैशाख 20, 1925)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 10, 2003 (VAISAKHA 20, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .. .. पृष्ठ 647

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं 359

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं 1

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 593

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .. .. *

भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .. .. *

भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .. .. *

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .. *

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .. *

भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .. .. *

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश .. .. *

भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 659

भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 1789

भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .. *

भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 7109

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 137

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और आयु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक .. *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 647

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 359

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. 1

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .. 593

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations ..

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations ..

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).

PAGE

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India. .. 659

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .. 1789

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners ..

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. 7109

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .. 137

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..

*Tables not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली–110001, दिनांक 10 अप्रैल 2003

सं० ए-42011/21/2002-प्रशा-II––कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उपधारा (I) के खण्ड (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री टी० पांडियन, उप-निदेशक (निरीक्षण) को कम्पनी कार्य विभाग में कथित धारा 209 क के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करती है ।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

सं० ए-42011/21/2002-प्रशा-II––कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उपधारा (I) के खण्ड (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री वी० एलंगोवन, सहायक-निदेशक (निरीक्षण) को कम्पनी कार्य विभाग में कथित धारा 209 क के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करती है ।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 2003

सं० ओ-12012/18/2003/ओएनजी/डी-4––केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक (एचईपीआई) (जिन्हें इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को 1100 वर्ग कि०मी० माप के केजी-ओएसएन-2001/1 में 3 अप्रैल, 2003 से 7 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वेक्षण करने के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आबद्ध होगी ।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी को अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है ।

एन० सी० जाखुप, अवर सचिव

आदेश

सं० ओ-12012/19/2003/ओएनजी/डी-4––केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक (एचईपीआई) (जिन्हें इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को 210 वर्ग कि०मी० माप के केजी–ओएसएन–2001/2 में 3 अप्रैल, 2003 से 7 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वेक्षण करने के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आबद्ध होगी ।

2 पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी को अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है ।

एन० सी० जाखुप, अवर सचिव

आदेश

सं० ओ-12022/21/2003/ओएनजी/डी-4––केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक (एचईपीआई) (जिन्हें इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को 27315 वर्ग कि०मी० माप के केकेडीडब्ल्यूएन-2001/1 में 3 अप्रैल, 2003 से 8 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वेक्षण करने के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और निर्देशांकों द्वारा आबद्ध होगी ।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी को अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है ।

एन० सी० जाखुप, अवर सचिव

आदेश

सं० ओ-12012/22/2003/ओएनजी/डी-4—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक (एचईपीआई) (जिन्हें इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को 31,515 वर्ग कि०मी० माप के केकेडीडब्ल्यूएन-2001/2 मे 3 अप्रैल, 2003 से 8 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वेक्षण करने के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आबद्ध होगी ।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी को अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है ।

एन०सी० जाखुप, अवर सचिव

आदेश

संख्या ओ-12012/25/2003/ओएनजी/डी-4—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआई एल) और हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक (एचईपीआई) जिन्हें इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को 14,325 वर्ग कि० मी० माप के सीवाईडीडब्ल्यूएन-2001/2 में 3 अप्रैल, 2003 से 8 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वेक्षण करने के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आबद्ध होगा ।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी को अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है ।

एन० सी० जाखुप, अवर सचिव

आदेश

संख्या ओ-12012/26/2003/ओएनजी/डी-4—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक (एचईपीआई) (जिन्हें इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को 8,600 वर्ग कि०मी० माप के सीवाई-पीआर-डीडब्ल्यूएन-2001/3 में 3 अप्रैल, 2003 से 8 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वेक्षण करने के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आबद्ध होगी ।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी को अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है ।

एन०सी० जाखुप, अवर सचिव

आदेश

सं० ओ-12022/27/2003/ओएनजी/डी-4—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामवली, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक (एचईपीआई) (जिन्हें इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को 10,590 वर्ग कि० मी० माप के सीवाई-पीआर-डीडब्ल्यूएन-2001/3 से 3 अप्रैल, 2003 से 8 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वेक्षण करने के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आबद्ध होगी ।

2 पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी को अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है ।

एन० सी० जाखुप, अवर सचिव

आदेश

सं० ओ-12012/28/2003/ओएनजी/डी-4—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1999 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक (एचपीआई) (जिन्हें इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को 8,255 वर्ग कि०मी० माप के पीआरडीडब्ल्यूएन-2001/1 में 3 अप्रैल, 2003 से 8 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वेक्षण करने के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आबद्ध होगी ।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी को अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है ।

एन० सी० जाखुप, अवर सचिव

आदेश

सं० ओ-12012/29/2003/ओएनजी-डी-4—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआई एल) और हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक (एचईपीआई) (जिन्हें इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को 11,605 वर्ग कि०मि० माप के केजी-डीडब्ल्यूएन-2001/1 में 3 अप्रैल, 2003 से 8 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वेक्षण करने के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आबद्ध होगी।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी को अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है।

एन०सी० जाखुप, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2003

संकल्प

सं० एक्स० 19014/1/95-डी/डी०एम०एस०/पी०एफ० ए०—दिनांक 12-3-1991 के संकल्प सं० एक्स 19020/1/89-डी०एम०एस० एण्ड पी०एफ०ए० द्वारा गठित की गई भारतीय भेषज संहिता समिति के कार्यकाल, जिसे 11-3-2003 तक बढ़ाया गया था, को आगे 6 महीने की अवधि के लिए अर्थात् 11-9-2003 तक बढ़ाया जाता है।

समिति के अन्य निबन्धन और शर्तें वहीं रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली और भारतीय भेषज संहिता समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजी जाए।

नीता केजरीवाल, अवर सचिव

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय

(पर्यटन विभाग)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 31 मार्च 2003

विषय: राष्ट्रीय एयरो-खेल-कूद पर्यटन विकास और परामर्श-दात्री समिति (एनएएसडीएसी) का गठन

सं० 8 टी एम पी (5)/2001—देश में एअरो स्पोर्ट्स पर्यटन तथा सम्बन्धित अन्य कार्यकलापों का संवर्धन और विकास करने और प्रचालन/कार्यकलापों से सम्बन्धित एअरो स्पोर्ट्स को शासित करने वाले अनुबद्ध नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, एअरो स्पोर्ट्स पर्यटन के क्षेत्र में सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों/गैर सरकारी संगठनों और व्यावसायिक विशेषज्ञों संगठनों के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय एअरो स्पोर्ट्स पर्यटन विकास और परामर्शदात्री समिति, (एनएएसडीएसी) जिसे इसके बाद एनएएसडीएसी कहा जाएगा, का गठन, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत, नई दिल्ली मुख्यालय में किया जाए। समिति में निम्नानुसार स्थाई सदस्य होंगे :—

स्थाई सदस्य

(i) सचिव, भारत सरकार, पर्यटन मन्त्रालय, नई दिल्ली। — अध्यक्ष एनएएसडीएसी

(ii) संयुक्त सचिव, (पर्यटन) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। — सदस्य

(iii) संयुक्त सचिव नागर विमानन, भारत सरकार, नई दिल्ली। — सदस्य

(iv) संयुक्त सचिव (जी) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। — सदस्य

(v) संयुक्त सचिव (विदेश प्रभाग) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। — सदस्य

(vi) संयुक्त सचिव (वाईएएंडएस), यूथ आफियेर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

(vii) उप महानिदेशक (उडन योग्यता) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली। — सदस्य

(viii) सभापति, फ्री फ्लाइट एसोसिएशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली। — सदस्य

(ix) निदेशक, फ्लाइट सेफ्टी, इंडियन एअरलाइंस लि० नई दिल्ली। — सदस्य

(x) सभापति, एडवेंचर टूअर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली — सदस्य

(xi) श्री संतोष पथानिया, निदेशक, अल्फा एविएशन सर्विसेज लि० एंड महासचिव, फ्री फ्लाइट एसोसिएशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली। — तकनीकी सदस्य (एअरोस्पोर्ट्स)

(xii) उप महानिदेशक (स्वदेशी, साहसिक और पारिस्थितिकी पर्यटन) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली — सदस्य

उपर्युक्त सदस्यों के अलावा, समिति में निम्नलिखित मनोनीत सदस्य भी होंगे :—

मनोनीत सदस्य

1 सचिव, पर्यटन और नागर विमानन, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।

2. सचिव पर्यटन, उत्तरांचल सरकार, देहरादून ।

3. इन्श्योरेंस रेगूलेटरी डिवेलपमेंट अथारिटी (आईआरडीए) शीर्ष इन्श्योरेंस निकाय से प्रतिनिधित्व ।

समिति के गठन में, यदि किसी समय कोई परिवर्तन या आवश्यकता के अनुसार किसी स्थिति पर परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी, तो समिति के स्थाई सदस्यों के साथ परामर्श करके एनएएसडीएसी के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है ।

राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स पर्यटन विकास और परामर्शी समिति (एनएएसडीएसी) के संदर्भ शर्तें ।

2. राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स पर्यटन विकास और परामर्शी समिति (एनएएसडीएसी) के संदर्भ में शर्तें निम्नानुसार होंगी :

(क) एरो स्पोर्ट्स पर्यटन से सम्बन्धित मामलों के विकास के लिए एनएएसडीएसी, नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए), नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के लिए सिफारिशी प्राधिकरण होगा ।

(ख) एनएएसडीएसी की सहायता, फ्री फ्लाइट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसी व्यावसायिक निकाय द्वारा की जाएगी जिसे इसके बाद (एफएफएआई) कहा जाएगा जिसे देश में एरो स्पोर्ट्स पर्यटन के नियंत्रण, प्रचालन और विकास के लिए एरो स्पोर्ट्स पायलट्स सोसाइटी द्वारा मंजीकृत की गई है ।

(ग) एफएफएआई नोडल एजेंसी होगी, जो एनएएसडीएसी के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और युवा मामले तथा खेल मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और यूरो क्लब और यूरो क्लब ऑफ इंडिया के बीच संबंध बनवाएगी ।

(घ) राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स पर्यटन विकास और परामर्शदात्री समिति बचाव कार्यों के लिए सुरक्षा, रक्षा संबंधी अपेक्षाओं और दिशानिर्देश सहित एरो स्पोर्ट्स पर्यटन विकास के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रचार करेगी और साहसिक टूअर आपरेटरों और अन्य के साथ-साथ साहसिक पर्यटन के उत्साही पर्यटक और एरो स्पोर्ट्स व्यावसायिक को जागरूक और शिक्षित करेगी । एफएफएआई सम्बद्ध एअरो क्लबों/अन्य संगठनों के माध्यम से पूरे देश में इस सम्बन्ध में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा ।

(ङ) राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स पर्यटन विकास और परामर्शदात्री समिति एरो स्पोर्ट्स पर्यटन को लोकप्रिय बनाने के लिए एफएफएआई के माध्यम से देश और पूरे विश्व के ऐसे क्षेत्रों में, जहां अपने-अपने देश के एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशनों और क्लबों के माध्यम में रजिस्टर्ड रिक्रियेशनल उड़ानचालक के रूप में भावी इन बाउण्ड पर्यटक विद्यमान है, सूचना-पत्र/पैम्फलेट्स, ब्रोशरों और अन्य सम्बन्धित संवर्धनात्मक सामग्री प्रकाशित करने के लिए प्रयास करेगी ।

(च) राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स पर्यटन विकास और परामर्शदात्री समिति एफएफएआई, के माध्यम से पर्यटकों को उत्कृष्ट एरो स्पोर्ट्स उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए एरो स्पोर्ट्स अनुशासनों से सम्बन्धित कानूनी विनियमों का सख्ती से अनुपालन के लिए राज्य/जिला एरो स्पोर्ट्स क्लबों को सुनिश्चित करेगी । फेडरेशन एरोनाटिक इंटरनेशनल, सीएए आफ यूके, ब्रिटिश माइक्रो एअरक्राफ्ट एसोसिएशन (बीएमएए) ब्रिटिश है । ग्लाइडिंग एंड पाराग्लाइडिंग एसोसिएशन (बीएचपीए) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्टिंग निकायों द्वारा किए गए परिवर्तनों/संशोधनों के अनुसार एअर स्पोर्ट्स अनुशासन सम्बन्धी/अद्यतन सुझाव डीजीसीए को नियमित रूप से दिए जाएंगे ।

(छ) राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स पर्यटन विकास और परामर्शी समिति सुरक्षा और बीमा पहलुओं सहित निर्धारित कानूनी विनियमों की मानीटरिंग और अनुपालन द्वारा एरो स्पोर्ट्स में सुरक्षा और प्रशिक्षण के उच्च मानक सुनिश्चित करने के लिए एरो स्पोर्ट्स पाइलटों, एरो स्पोर्ट्स उपकरणों के निर्माण, ऑपरेटरों आदि पर डाटा बैंक के साथ भारत एरो क्लब और एफ एफ ए आई जैसे व्यावसायिक निकायों के माध्यम से देश में एरो स्पोर्ट्स पर्यटन कार्यकलापों के सभी पहलुओं की सिफारिश, मानीटर और विश्लेषण करेगी ।

(ज) एफएफएआई पर एरो स्पोर्ट्स पायलटों, पायलट गाइडों, तांडेम पायलटों अनुदेशकों, आपरेटरों, कोचों आदि, जो उड़ान भरने या अनुभव उड़ान भरने के लिए पर्यटकों को ले जाते हैं, के लिए एरो स्पोर्ट्स उपकरण की प्राप्ति उनके रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की सिफारिशें एनएएसडीएसी को भेजेगी, जो डीजीसीए, सिविल विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को सिफारिश करने के लिए विचार करेगी । डीजीसीए सम्बन्धित आवेदक को प्राधिकरण देने में विचार कर सकता है ।

(झ) एनएएसडीएसी परामर्शदात्री देश में एरो स्पोर्ट्स पर्यटन के व्यवहार और विकास के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और युवा कार्य और खेलकूद मंत्रालय तथा राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और अन्य व्यावसायिक संगठनों का प्रस्ताव भेजने पर विचार कर सकती है ।

(ञ) एफएफएआई को साथ ही साथ एरो स्पोर्ट्स उपकरण आदि सम्बन्धी अनुमति/लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और प्रमाण-पत्रों के प्रयोजन के लिए डीजीसीए के साथ डील करने और एरो स्पोर्ट्स पर नोडल एजेंसी बनने के लिए सिविल विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) में जैसा कि सहमत और साथ ही अनुबद्ध है व्यावसायिक निकाय/सोसाइटी के रूप में डीजीसीए द्वारा मान्यता दी जायेगी ।

(ट) राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स पर्यटन विकास और परामर्शदात्री समिति इस प्रयोजन के लिए सृजित सुरक्षा निधि और देश में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स कार्यक्रमों के साथ-साथ एरो स्पोर्ट्स पर्यटन के संवर्धन के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों/

विभागों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से कार्पोरेट स्पॉनशरशिप/अनुदानों की वृद्धि में एफएफएआई को समर्थन देगी ।

(ठ) राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स पर्यटन विकास और परामर्श-दात्री समिति अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ-साथ, युवा कार्य और खेल कूद मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग, भारत सरकार, जिनके पास इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट योजनायें हैं, के माध्यम से प्रशिक्षकों/अनुदेशकों/कोचों के प्रशिक्षण कार्य चलाने हेतु और आधुनिक एरो स्पोर्ट्स उपकरण के नए उत्पादन के प्रचालन के लिए एरो स्पोर्ट्स पायलटों का विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के एफएफएआई के प्रयास को भी समर्थन देगी ।

(ड) राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स पर्यटन विकास और परामर्श-दात्री समिति युवा कार्य और खेल-कूद मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से देश में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स कार्यक्रम कराने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स संगठनों/एसोसिएशनों/क्लबों के साथ प्रदान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा एरो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भारत की सुविज्ञता के केन्द्रों के सृजन के लिए एफएफएआई और अन्य एरो स्पोर्ट्स निकायों/संगठनों के समर्थन देने वाले प्रयासों पर भी विचार करेगी ।

(ढ) देश में एरो स्पोर्ट्स प्रशिक्षण कार्यकलाप पर्यटकों/साहसिक रुचि वाले व्यक्तियों और अन्य द्वारा उनकी अपनी जोखिम पर किए जाते हैं । एनएएडीएसी और एफएफएआई, डीजीसीए, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय और भारत सरकार से सम्बन्धित अन्य संगठन किसी भी अनहोनी घटनाओं और जीवन की हानि सहित अन्य किसी मामले के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं होंगे यह सूचना पर्यटन स्थलों पर मुख्यालय से लगाई गई है जहां एरो स्पोर्ट्स पर्यटन का अभ्यास किया जाता है ।

(ण) पॉयलट/अनुदेशक/रेंडम पायलट/आपरेटर/कोच/पर्यटक साहसिक रुचि वाले व्यक्ति और अन्य को उड़ान पर जाने से पूर्व एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं कि उन्होंने एल्कोहल/शराब का सेवन नहीं किया है और यह भी घोषणा करनी होती हैं कि उड़ान भरने के 24 घण्टों के पूर्व उन्होंने एल्कोहल/शराब का सेवन नहीं किया है और वे शपथ लेते हैं । उन्हें सभी सुरक्षा और संरक्षा नियमों तथा अन्य संवैधानिक अपेक्षाओं को भी पूरा करना होगा ।

1 एनएएसडीएसी तीन महीनों में कम से कम एक बार मिलेंगे ताकि देश में एरो स्पोर्ट्स पर्यटन और सम्बन्धित अन्य कार्यकलापों के संवर्धन तथा विकास के संचालन से सम्बन्धित सभी कार्यकलापों की संवीक्षा तथा निर्धारण किया जा सके ।

2 कार्यालयी तथा गैर कार्यालयी सदस्य दोनों ही और नामित एवं आमंत्रित सदस्य, यदि कोई हो तो, एनएएसडीएसी की बैठकों में उपस्थित होने/भाग लेने और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन विभाग, भारत सरकार से सम्बन्धित अन्य कार्यकलापों के लिए किसी भी टीए/डीए व्यय के हकदार नहीं होंगे ।

अमिताभ कांत, संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2003

संकल्प

सं० ई आर बी-I/2002/23/9(1)—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 12-4-01 तथा 16-8-02 के समसंख्यक संकल्प देखें जो श्री वशिष्ट नारायण सिंह, पूर्व संसद सदस्य और उसके बाद श्री श्याम सुन्दर सिंह धीरज, पूर्व राज्य मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में 2 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक यात्री सुविधा समिति के गठन के बारे में है ।

2. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने विनिश्चय किया है कि यात्री सुविधा समिति का कार्यकाल 11-4-03 से आगे 31-5-2003 तक बढ़ा दिया जाए ।

आर० आर० जाखड़, सचिव, रेलवे बोर्ड

आदेश

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ए० के० बागची
संयुक्त सचिव (राज०) रेलवे बोर्ड

संकल्प

सं० ई आर बी-I/2002/23/9 (2)—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 12-4-01 तथा 16-8-02 के समसंख्यक संकल्प देखें जो श्री राजकिशोर महतो, भूतपूर्व संसद सदस्य की अध्यक्षता में 2 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक यात्री सेवा समिति के गठन के बारे में है ।

2. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने विनिश्चय किया है कि यात्री सेवा समिति का कार्यकाल 11-4-03 से आगे 31-5-03 तक बढ़ा दिया जाए ।

आर० आर० जाखड़, सचिव, रेलवे बोर्ड

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ए० के० बागची
संयुक्त सचिव (राज), रेलवे बोर्ड

श्रम मंत्रालय

(रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 2003

सं० डीजीईटी-19 (1)/2003-सी० डी० 1—राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण के गठन तथा 1-4-2000 से 31-03-2003 तक, 3 वर्ष की अवधि के लिए गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के संबंध में 14 फरवरी, 2000 तथा 15 अप्रैल 2000 के भारत सरकार की अधिसूचना संख्या डीजीईटी-19(20)/99-सी० डी० के संदर्भ में।

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय इस अधिसूचना के माध्यम से उक्त परिषद् के कार्यकाल के साथ-साथ गैर सरकारी सदस्यों के कार्यकाल को दिनांक 01-04-2003 से 30-6-2003 या जब तक नई परिषद् का गठन नहीं हो जाता हैं जो भी पहले है तक और बढ़ाती है।

एन० लंका, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 10th April 2003

No. A-42011/21/2002-Ad. II.—In exercise of powers conferred by clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorise Shri T. Pandian, Deputy Director (Inspection) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209A.

RAVINDER DUTT
Under Secy.

No. A-42011/21/2002-Ad.II.—In exercise of powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorise Shri V. Elangavan, Asst. Director (Inspection) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209A.

RAVINDER DUTT
Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 3rd April 2003

ORDER

No. O-12012/18/2003/ONG/D-IV.—In exercise of Powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to Reliance Industries Limited (RIL) & Hardy Exploration and Production (India) Inc. (HEPI) (hereinafter referred to as Licencees) a Petroleum Exploration Licence to prospect for a period of 7 years with effect from 3rd April, 2003 in KG-OSN-2001/1 measuring 1100 sq. kms. and bound by the co-ordinates.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the Licensee separately.

N. C. ZAKHUP
Under Secy.

No. O-12012/19/2003/ONG/D-IV.—In exercise of powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to Reliance Industries Limited (RIL) & Hardy Exploration and Production (India) Inc. (HEPI) (hereinafter referred to as Licencees) a Petroleum Exploration Licence to prospect for a period of 7 years with effect from 3rd April, 2003 in KG-OSN-2001/2 measuring 210 sq. kms. and bound by the co-ordinates.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the Licensee separately.

N. C. ZAKHUP
Under Secy.

No. O-12012/21/2003/ONG/D-IV.—In exercise of powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to Reliance Industries Limited (RIL) & Hardy Exploration and Production (India) Inc. (HEPI) (hereinafter referred to as Licencees) a Petroleum Exploration Licensee to prospect for a period of 8 years with effect from 3rd April, 2003 in KK-DWN-2001/1 measuring 27,315 sq. kms. and bound by the co-ordinates.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the Licencee separately.

N. C. ZAKHUP
Under Secy.

No. O-12012/22/2003/ONG/D-IV.—In exercise of powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to Reliance Industries Limited (RIL) & Hardy Exploration and Production (India) Inc. (HEPI) (hereafter referred to as Licencees) a Petroleum Exploration License to prospect for a period of 8 years with effect from 3rd April, 2003 in KK-DWN-2001/2 measuring 31,515 sq. kms. and bound by the co-ordinates.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the Licencee separately.

N. C. ZAKHUP
Under Secy.

No. O-12012/25/2003/ONG/D.LV.—In exercise of powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to Reliance Industries Limited (RIL) and Hardy Exploration and Production (India) Inc. (HEPI) (hereinafter referred to as Licencees) a Petroleum Exploration Licance to prospect for a period of 8 years with effect from 3rd April, 2003 in CY-DWN-2001/2 measuring 14,325 sq. kms and bound by the co-ordinates.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to to the terms and conditions being intimated to the Licensee separately.

N C. ZAKHUP, Under Secy.

No. O-12012/26/2003/ONG/D-IV.—In exercise of powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to Reliance Industries Limited (RIL) and Hardy Exploration and Production (India) Inc. (HEPI) (hereinafter referred to as Licensees) a Petroleum Exploration Licence to prospect for a period of 8 years with effect from

3rd April 2003 in CY-PR-DWN-2001/3 measuring 8,600 sq. kms and bound by the co-ordinates.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the Licensee separately.

N. C. ZAKHUP, Under Secy.

ORDER

No. O-12012/27/2003/ONG/D-IV.—In exercise of powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to Reliance Industries Limited (RIL) and Hardy Exploration and Production (India) Inc. (HEPI) (hereinaftar referred to as Licensees) a Petroleum Exploration Licence to prospect for a period of 8 years with effect from 3rd April 2003 in CY-PR-DWN-2001/4 measuring 10,590 sq. kms and bound by the co-ordinates.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the Licensee separately.

N. C. JAKHUP, Under Secy.

ORDER

No. O-12012/28/2003/ONG/D-IV.—In exercise of powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to Reliance Industries Limited (RIL) and Hardy Exploration and Production (India) Inc. (HEPI) (hereinafter referred to as Licensees) a Petroleum Exploration Licence to prospect for a period of 8 years with effect from 3rd April 2003 in PR-DWN-2001/1 maasuring 8,255 sq. kms and bound by the co-ordinates.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the Licensee separately.

N. C. ZAKHUP, Under Secy.

ORDER

No. O-12012/29/2003/ONG/D-IV.—In exercise of powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to Reliance Industries Limited (RIL) and Hardy Exploration and Production (India) Inc. (HEPI) (hereinafter referred to as Licensees) a Petroleum Exploration Licence to prospect for a period of 8 years with effect from 3rd April 2003 in KG-DWN-2001/1 measuring 116,05 sq. kms and bound by the co-ordinates.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the Licensee separately.

N. C. ZAKHUP, Under Secy.

MINISTRY OF ARI

New Delhi, the 21st April 2003

CORRIGENDUM

No. 110011/1/2002 - Hindi.—Reference to this Ministry's resolution of even No. dated 4-12-2002 regarding constitution of Hindi Salahkar Samiti of Ministry of Agro and Rural Industry.

In the English version of above resolution's Serial No. 7, the address of Shri Parmar, M. P. (Rajya Sabha) may be read as (i) 25, South Avenue, New Delhi-110011, Telephone No. 23011444, 23014449 and (ii) Village & P. O. Paral, Via-Damtal, Tehsil - Indora Dist. - Kangra, H. P., in place of (i) 102-104, South Avenue, New Delhi-110011, Telephone No. 3014023, 3018542 and (ii) F-4, Sanskriti Apartment (Near Rachna Society), Premchand Nagar Road, Satellite, Ahmedabad, Gujarat (079-110011).

STUTI KACKER, Jt. Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPT. OF HEALTH)

New Delhi, the 26th March 2003

RESOLUTION

No. X.19014/1/95-D/DMS&PFA.—The term of the Indian Pharamaeopoei Committee constituted vide Resolution tion No. X.19020/1/89-DMS&PFA dated 12-3-1991, which was extended upto 11-3-2003, is further extended for a period of six months, i.e. upto 11-9-2003.

The other terms and conditions of the Committee will remain the same.

ORDER

Ordered that a cppy of the Resolution may be sent to all the Ministries/Departments of the Govt. of India, Directorate General of Health Services, New Delhi and all the Members Pharmacopoeia Committee.

Ordered that a copy of the Resolution be sent for publication in the Gazette of India for general information.

NITA KEJREWAL, Under Secy.

MINISTRY OF TOURISM & CULTURE
(DEPARTMENT OF TOURISM)

New Delhi-110001, the 31st March 2003

Sub : CONSTITUTION OF NATIONAL AERO-SPORTS TOURISM DEVELOPMENT and ADVISORY COMMITTEE (NASDAC)

No. 8 TMP(5)/2001.—In order to promote and develop Aero-Sports Tourism and other related activities in the country and to ensure effective implementation of the stipulated regulations governing Aerosports related operations/activities, it has been decided in consultation with the concerned Ministries/Departments/NGOs and Professional experts/Organizations in the field of Aerosports Tourism to constitute a "National Aero-sports Tourism Development and Advisory Committee" (NASDAC) hereinafter referred as NASDAC, with Headquarters in New Delhi under Ministry of Tourism and Culure, Department of Tourism, Govt. of India. The Committee shall have the following as permanent members :

PERMANENT MEMBERS

Chairman NASDAC

(i) The Secretary to the Govt. of India, Ministry of Tourism, New Delhi.

Members

(ii) Joint Secretary (Tourism), Ministry of Tourism, Government of India, New Delhi.

(iii) Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation, Govt. of India, New Delhi.

(iv) Joint Secretary (G), Ministry of Defence, Govt. of India, New Delhi.

(v) Joint Secetary (Foreigners Div.), Ministry of Home Affairs, Govt. of India, New Delhi.

(vi) Joint Secretary (YA&S), Ministry of Youth Affairs and Sports, Govt. of India, New Delhi.

(vii) Deputy Director General (Air Safety), Directorate General of Civil Aviation (D.G.C.A.), Ministry of Civil Aviation, Govt. of India, New Delhi.

(viii) President, Free Flight Association of India, New Delhi.

(ix) Director, Flight Safety, Indian Airlines Ltd., New Delhi.

(x) President, Adventure Tour Operators Association of India, New Delhi.

Technical Member (Aerosports)

(xi) Mr. Satish Pathania, Director, Alpha Aviation Services Ltd. & Secretary General, Free Flight Association of India, New Delhi.

(xii) Deputy Director General, Ministry of Tourism, Govt. of India, (Domestic, Adventure & Eco Tourism), New Delhi.

Member Secretary

In addition to the above members, the Committee shall also have the following Nominees :

NOMINATED MEMBERS

1. Secretary, Tourism & Civil Aviation, Govt. Himachal Pradesh, Shimla.
2. Secretary, Tourism, Govt. of Uttranchal, Dehradun.
3. Representative from Insurance Regulatory Development Authority (IRDA), Apex insurance body.

The composition of the Committee, if need to be changed at any time and at any stage depending upon the requirement, shall be made by the Chairman of the NASDAC in consultation with the permanent Committee members.

THE TERMS OF REFERENCE OF THE NATIONAL AEROSPORTS TOURISM DEVELOPMENT AND ADVISORY COMMITTEE (NASDAC)

2. The following shall be the terms of reference of the National Aerosports Tourism Development and Advisory Committee (NASDAC) :

(a) NASDAC shall be the Recommendatory Authority to the Directorate General of Civil Aviation (D.G.C.A.), Ministry of Civil Aviation, Govt. of India for development of Aerosports Toursim related matters.

(b) NASDAC shall be assisted by the professional body viz. Free Flight Association of India (FFAI) hereinafter referred as FFAI a registered society of Aerosports Pilots for Control, Operations and Development of Aerosports Tourism in the country.

(c) FFAI shall be the nodal agency, which will liaise among Ministry of Toursim, Ministry of Civil Aviation and Ministry of Youth Affairs and Sports, Govt. of India and State Govts./Union Territory Administrations, Ministry of Defence, Ministry of Home Affairs & Aero Club of India through NASDAC.

(d) NASDAC shall disseminate, create awareness and educated Adventure enthusiasts, tourists and Aerosports practitioners as well as Adventure tour operators and others regarding various aspects of Aerosports Tourism Development including safety, Security requirements and guidance for Rescue operations. FFAI shall render all assistance in this regard through affiliated Aero clubs/other organizations all over the country.

(e) NASDAC shall endeavor through FFAI to publish Newsletters/pamphlets, Brochures and other related promotional material for popularizing Aerosports Tourism in the country and worldwide in regions where prospective in-bound tourist exist in the form of registered recreational fliers through their respective country's Aerosports Associations and Clubs FFAI shall undertake production of publicity and promotional material on Aerosports including Safety and Security related matters and arranges to distribute & supply to all as well as to tourists.

(f) NASDAC shall ensure through FFAI, State/District Aerosports Clubs for strict adherence of statutory regulations concerning Aerosports disciplines in order to provide quality Aerosports Tourism product to the tourist. Regular updating suggestions will be made to DGCA concerning Aerosports discipline as per the changes/modifications formulated by International Sporting bodies like Federation Aeronatique Internationale, C.A.A. of U.K., British Microlight Aircraft Association (B.M.A.A.), British Hang Gliding and Paragliding Association (B.H.P.A.).

(a) NASDAC shall recommend, monitor and analyze all aspects of Aerosports Tourism activities in the country through professional bodies like Aero Club of India and FFAI with data bank of Aerosports pilots, manufacturers of Aerosports equipment, operators etc. to ensure higher standard or safety and training in the aero sports by monitoring and adherence of laid down statutory regulations including Rescue and Insurance aspects.

(h) FFAI shall send-in the recommendations-on procurement of Aerosports equipment and their registration, authorization for Aerosports pilots, pilot guides, Iandem Pllots, Instructors, Operators, Coaches etc. who take tourists for flying or experience flights-to NASDAC which may consider recommending the same to D.G.C.A., Ministry of Civil Aviation, Govt. of India. D.G.C.A. may consider giving authorization to the concerned applicant.

(i) NASDAC may consider recommending proposals for practice and development of Aerosports tourism in the country to Ministry of Tourism and Ministry of Youth Affairs and Sports, Govt. of India and the State Govt./Union Territory Administrations and other professional organizations.

(j) FFAI shall be recognized by D.G.C.A. as professional body/society as agreed upon as well as it is also stipulated in Civil Aviation requirements (C.A.R.) to become nodal agency on Aerosports and to deal with D.G.C.A. for the purpose of obtaining permissions/Licenses, registrations and certifications of Aerosports equipment etc.

(k) NASDAC shall support FFAI in raising corporate aponsorships/grants from concerned Ministries/Departments and International Organizations for promotion of Aerosports Tourism as well as for holding National/International Aerosports Events in the country and a Safety Fund created for this purpose.

(l) NASDAC shall support FFAI effort to get specialized professional training for Aerosports pilots to handle new generation of modern aerosports equipment and also to undertake training of trainers/Instructors/Coaches through Ministry of Youth Affairs and Sports, Department of Science & Technology, Govt. of India who have specific schemes for this purpose as well as with International organizations.

(m) NASDAC shall also consider supporting efforts of FFAI and other Aerosports bodies/organizations for creating nucles of India's expertise in the field of Aerosports by way of Exchange training programms with International Aerosports organizations/Associations/Clubs as well as holding National/International Aerosports events in the country through Ministry of Youth Affairs and Sports and Ministry of Tourism, Govt. of India, Ministry of Civil Aviation, Govt. of India.

(n) Aerosports training activities in the country shall be undertaken by the tourists/adventure enthusiasts and others at their own risks and cost. NASDAC & FFAI, D.G.C.A., Ministry of Tourism and Culture & Ministry of Youth Affairs and Sports and other related Govt. of India organizations shall not be anyway responsible for any mishaps accidents and other related matters including loss of life. This information shall be displayed prominently at tourism sites where aerosports Tourism is practiced.

(o) Pilots/Instructors/Tandem pilots/Operators/Coaches Tourist/Adventure enthusiasts and others are required to sign a declaration before they venture out on flying that they are not under the influence of alcohol/liquor and also declare that they have not taken alcohol/liquor before 24 hours prior to flying and giving undertaking. They shall also adhere to all Safety & Security regulations & other statutory requirements.

(p) The NASDAC shall meet at least once in three months to review and assess all the activities governing Promotion & Development of Aerosports Tourism and other related activities in the country.

(q) Both official and non-official members & nominees and invitees, if any, shall not be entitled for any TA/DA expenses for attending/participation in NASDAC meetings and other concerned activities from Ministry of Tourism & Culture, Dept. of Tourism, Govt. of India.

AMITABH KANT, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 25th April 2003

RESOLUTION

No. ERB-I/2002/23/9(1).—Reference Ministry of Railways (Railway Board's) Resolutions of even number dated 12-04-2001 and 16-08-2002, regarding constitution of Passenger Amenities Committee under the Chairmanship of Shri Bashisht Narain Singh, Ex-Member of Parliament and later under the Chairmanship of Shri Shyam Sundar Singh Dhiraj, Ex-Minister of State, Bihar for a period of 2 years or till further orders.

2. Ministry of Railways (Railway Board) have decided that the tenure of Passenger Amenities Committee may be extended up to 31-05-2003 beyond 11-04-2003.

R. R. JARUHAR, Secy.
Railway Board

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. K. BAGCHI, Jt. Secy. (G)
Railway Board

RESOLUTION

No. ERB-I/2002/23/9(2).—Reference Ministry of Railway (Railway Board's) Resolutions of even number dated 12-04-2001 and 16-08-2002, regarding constitution of Passenger Services Committee under the Chairmanship of Shri Raj Kishore Mahato, Ex-Member of Parliament for a period of 2 years or till further orders.

2. Ministry of Railways (Railway Board) have decided that the tenure of Passenger Amenities Committee may be extended up to 31-05-2003 beyond 11-04-2003.

R. R. JARUHAR, Secy.
Railway Board

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. K. BAGCHI, Jt. Secy. (G)
Railway Board

MINISTRY OF LABOUR

(GDE&T)

New Delhi, the 29th April 2003

No. DGET-19(1)/2003-CD.—Reference Government of India's Notification No. DGET-19(20)/99-CD dated 14th February, 2000 and 15th April, 2000 regarding constitution of the National Council for Vocational Training and nomination of non-official members for a period of three years w.e.f. 1-4-2000 to 31-3-2003.

Government of India, Ministry of Labour vide this Notification hereby extend the term of the above council as well as tenure of non-official members for a further period from 1-4-2003 to 30-6-2003 or till the new council is constituted whichever is earlier.

N. LANKA, Dy. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित. 2003
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003